

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 22/09/2016,

क्रमांक एफ 10-17/2016/सत्रह/मेडि-2 :: प्रदेश में मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा स्पेशलिटी नर्सिंग कोर्स पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना, 2016 जारी की गई है। मल्टी स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालनालय स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें | — | अध्यक्ष |
| 2. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें | — | सदस्य |
| 3. संचालक, लोक स्वास्थ्य (अस्पताल प्रशासन) | — | सदस्य |
| 4. वित्तीय सलाहकार | — | सदस्य |
| 5. नोडल अधिकारी, निवेश प्रोत्साहन | — | सदस्य सचिव, |

संचालनालय स्तरीय समिति द्वारा मल्टी स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में निवेश हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति की अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय साधिकार समिति के अनुमोदन के पश्चात् नोडल अधिकारी द्वारा सुविधा स्वीकृति आदेश निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी किये जाएंगे।

(इच्छित गढ़पाले)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

पृ० क्रमांक एफ 10-17/2016/सत्रह/मेडि-2,

भोपाल, दिनांक 22/09/2016,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, जन संपर्क, बाणगंगा, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रायफेक, सेडमैप भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8-किसान भवन, पुरानी जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल।
9. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, /राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
10. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
11. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
12. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
13. नोडल अधिकारी, निवेश नीति, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,